

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
मांग संख्या 2
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	9801.00	3.39	9804.39	9934.59	6.50	9941.09	10152.53	3.82	10156.35	10462.06	4.33	10466.39
वसूलियां	-13.61	...	-13.61
प्राप्तियां
निवल	9787.39	3.39	9790.78	9934.59	6.50	9941.09	10152.53	3.82	10156.35	10462.06	4.33	10466.39
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	31.54	3.39	34.93	51.64	6.50	58.14	36.15	3.82	39.97	42.84	4.33	47.17
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
कृषि शिक्षा												
2. राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (ईएपी)	54.60	...	54.60
3. कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) का सुदृढीकरण	249.91	...	249.91	234.89	...	234.89	234.89	...	234.89	204.23	...	204.23
4. सतत कृषि विकास हेतु अभिनव प्रौद्योगिकियों के साथ बढ़ा हुआ कृषि उत्पादन और उत्पादन पश्चात तंत्र	70.09	...	70.09	91.24	...	91.24	91.24	...	91.24	95.74	...	95.74
5. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	239.97	...	239.97	252.16	...	252.16	252.16	...	252.16	229.09	...	229.09
6. खाद्य और पोषण सुरक्षा हेतु फसल विज्ञान	930.95	...	930.95	930.22	...	930.22	930.22	...	930.22	965.46	...	965.46
7. पोषण सुरक्षा हेतु बढ़ी हुई और संधारणीय उत्पादकता के लिए बागवानी फसलों के सुधार और प्रबंधन में प्रौद्योगिकी आधारित सहायता (बागवानी विज्ञान)	210.19	...	210.19	257.07	...	257.07	257.07	...	257.07	318.91	...	318.91
8. पोषण सुरक्षा के लिए संधारणीय पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन हेतु अनुसंधान, शिक्षण और प्रौद्योगिकी विकास	304.22	...	304.22	415.15	...	415.15	415.15	...	415.15	504.04	...	504.04
9. संधारणीय विकास हेतु मात्स्यकी और जलजीव पालन	150.00	...	150.00	200.92	...	200.92	200.92	...	200.92	192.81	...	192.81
10. कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान का सुदृढीकरण	322.67	...	322.67	398.74	...	398.74	630.17	...	630.17	708.94	...	708.94
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	2532.60	...	2532.60	2780.39	...	2780.39	3011.82	...	3011.82	3219.22	...	3219.22
केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
11. आईसीएआर मुख्यालय	6569.83	...	6569.83	6378.70	...	6378.70	6370.70	...	6370.70	6425.83	...	6425.83

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय	666.27	...	666.27	723.55	...	723.55	733.55	...	733.55	774.17	...	774.17
13. राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी	0.76	...	0.76	0.31	...	0.31	0.31	...	0.31
जोड़-स्वायत्त निकाय	7236.86	...	7236.86	7102.56	...	7102.56	7104.56	...	7104.56	7200.00	...	7200.00
अन्य												
14. वास्तविक बसूली	-13.61	...	-13.61
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	7223.25	...	7223.25	7102.56	...	7102.56	7104.56	...	7104.56	7200.00	...	7200.00
कुल जोड़	9787.39	3.39	9790.78	9934.59	6.50	9941.09	10152.53	3.82	10156.35	10462.06	4.33	10466.39
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. कृषि अनुसंधान और शिक्षा	9763.44	...	9763.44	9303.22	...	9303.22	9513.56	...	9513.56	9772.86	...	9772.86
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	23.95	...	23.95	43.98	...	43.98	28.49	...	28.49	35.02	...	35.02
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.39	3.39	...	6.50	6.50	...	3.82	3.82	...	4.33	4.33
जोड़-आर्थिक सेवाएं	9787.39	3.39	9790.78	9347.20	6.50	9353.70	9542.05	3.82	9545.87	9807.88	4.33	9812.21
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	587.39	...	587.39	610.48	...	610.48	654.18	...	654.18
जोड़-अन्य	587.39	...	587.39	610.48	...	610.48	654.18	...	654.18
कुल जोड़	9787.39	3.39	9790.78	9934.59	6.50	9941.09	10152.53	3.82	10156.35	10462.06	4.33	10466.39

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. एग्रिप्रोवेट इंडिया लिमिटेड	...	7.40	7.40	...	20.00	20.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00
जोड़	...	7.40	7.40	...	20.00	20.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के और कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) के वेतन और स्थापना व्यय पर होने वाले खर्च के लिए है। डीएआरई का एक संबद्ध कार्यालय एएसआरबी है।

2. **राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (ईएपी):** यह विश्व बैंक और सरकार द्वारा वित्तपोषित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना है। यह प्रावधान राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (एनएएचईपी) के बाह्य सहायता प्राप्त घटक के लिए है। जिसका उद्देश्य बुनियादी

ढांचे, शिक्षकों और छात्र उन्नति के समर्थन के लिए संसाधनों और तंत्र का विकास करना है, और कृषि विश्वविद्यालयों के बेहतर प्रशासन और प्रबंधन के लिए साधन उपलब्ध कराना है, ताकि वर्तमान कृषि शिक्षा व्यवस्था के मानक को ऊंचा उठाने के लिए एक समग्र माडल विकसित किया जा सके जो अधिक रोजगार प्रदान करता हो, उद्यमिता उन्मुख हो और वैश्विक कृषि शिक्षा मानकों के समतुल्य हो।

3. **कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) का सुदृढीकरण:** यह प्रावधान कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों के बुनियादी स्तर तक पहुंच बनाने के क्रियाकलापों के लिए है जिससे फ्रंटलाइन कृषि तकनीकों का प्रदर्शन, प्रसार और परिष्करण हो। इसमें प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन, स्थानीय प्रौद्योगिकियों के संबंध में किसानों और एक्सटेंशन कार्मिकों का प्रशिक्षण, तथा बीज, रोपण सामग्रियों का वितरण और मृदा और जल के नमूनों की जांच आदि शामिल हैं।

4. **सतत कृषि विकास हेतु अभिनव प्रौद्योगिकियों के साथ बढ़ा हुआ कृषि उत्पादन और उत्पादन पश्चात तंत्र:** यह प्रावधान कृषि यंत्रों, प्रक्रिया और मूल्य वर्धित प्रोटोकाल के अनुसंधान, विकास और परिष्करण के लिए है।

5. **प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन:** यह प्रावधान कम कृषि उत्पादकता और लाभप्रदता, भूमि क्षरण, कम जल उत्पादकता, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट और कम पोषक तत्व उपयोग दक्षता, पारिस्थितिकी तंत्र संस्थाओं में गिरावट, अजैविक दबाव आदि को चिह्नित करने के लिए अनुसंधान करने हेतु है। कृषि विकास की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए गिरते प्राकृतिक संसाधन आधार का सामना करना आवश्यक है।

6. **खाद्य और पोषण सुरक्षा हेतु फसल विज्ञान:** अनुसंधान का प्रावधान विशिष्ट अधिक पैदावार देनेवाली फील्ड फसल किस्मों / संकर किस्मों का विकास करने के लिए है जो विभिन्न अजैविक दबावों के अतिरिक्त कीटनाशक और रोग सहनशीलता के लिए है। पैदावार की किसी हानि के बिना गुणवत्ता को भी उचित महत्व दिया जाता है। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) के सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी)/ नेटवर्क अनुसंधान परियोजनाएं विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में उन्नत फसल किस्मों/ संकर किस्मों का विकास करने, कम लागत में उत्पादन करने और पर्यावरण अनुकूल सुरक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास करने के कार्य में लगे हैं।

7. **पोषण सुरक्षा हेतु बढ़ी हुई और संधारणीय उत्पादकता के लिए बागवानी फसलों के सुधार और प्रबंधन में प्रौद्योगिकी आधारित सहायता (बागवानी विज्ञान):** यह प्रावधान बागवानी आनुवंशिक संसाधनों को समृद्ध बनाने के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देने, जैव और अजैव दबावों के प्रति प्रतिरोधक तंत्र के साथ नई खेती का विकास करने, उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकी और बागवानी एवं सब्जी की फसलों की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का विकास करने के लिए है।

8. **पोषण सुरक्षा के लिए संधारणीय पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन हेतु अनुसंधान, शिक्षण और प्रौद्योगिकी विकास:** यह प्रावधान खाद्य और पोषाहार सुरक्षा के लिए पशुधन और कुक्कुट क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि, लाभप्रदता, प्रतिस्पर्धा और संधारणीयता को सहायता प्रदान करने हेतु नई प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए है। इससे उत्पादकता में वृद्धि करने और उसके द्वारा संभाव्यता और वास्तविक उत्पादन के बीच अंतर को कम करने के लिए मौजूदा और नए उभर रहे क्षेत्रों में पशुधन और कुक्कुट क्षेत्र में आवश्यकता-आधारित प्राथमिकता प्राप्त अनुसंधान में सहायता मिलेगी।

9. **संधारणीय विकास हेतु मात्स्यकी और जलजीव पालन:** यह प्रावधान मतस्यपालन और जलजीव पालन में अनुसंधान और शैक्षिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए है। यह मत्स्यपालन संसाधनों के मूल्यांकन और प्रबंधन, जलजीवपालन हैचरी और ग्रो-आउट कल्चर प्रौद्योगिकियों के मानकीकरण, डिस्पांसिबल फिशिंग सिस्टम और जलजीव पालन के लिए अतः स्थलीय लवणीय मृदाओं के प्रणाली और प्रजाति विविधीकरण और उपयोग, मत्स्य स्वास्थ्य मॉनिटरिंग आदि करने के क्षेत्र में तकनीकी प्रशिक्षण, विश्लेषणात्मक, सलाहकार-सहायता और परामर्शदाता सेवाएं भी प्रदान करता है।

10. **कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान का सुदृढीकरण:** यह प्रावधान देश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों जिनमें राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू), मानद विश्वविद्यालय (डीयू) एवं कृषि संकाय के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) शामिल हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह योजना i) शैक्षणिक संस्थानों के प्रत्यायन, ii) पूर्व स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां उपलब्ध

कराने तथा iii) अत्याधुनिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के वैज्ञानिकों/ संकाय के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन के जरिये कृषि शिक्षा के मानदंड को बनाये रखने एवं उसमें सुधार लाने के लिए भी जिम्मेदार है।

11. **आईसीएआर मुख्यालय:** यह प्रावधान आईसीएआर के तहत मुख्य रूप से वेतन, पेंशन और विभिन्न योजनाओं प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक्स सहायता संबंधी व्ययों के लिए है जिससे कि उन्हें प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया जा सके।

12. **केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय:** यह प्रावधान वर्तमान में व्यास कृषि-जलवायु स्थिति पर आधारित क्षेत्रीय शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए है।

13. **राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी:** यह प्रावधान कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए और वैज्ञानिक समुदाय के विचारों को विभिन्न स्तरों पर योजना निर्माताओं, नीति निर्धारकों/सलाहकारों को नीतिगत इनपुट के रूप में प्रस्तुत करने हेतु कृषि वैज्ञानिकों को एक फोरम उपलब्ध कराने के लिए है।